

नगर परिषद, धौलपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र



आवेदन नं.: LSG/DHAULPUR/FIRENOC/2025-26/53055
जारी दिनांक: 19-MAR-2026 वैधता दिनांक: 18-MAR-2031

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PANKAJ VASHISHTHA
आवेदक का पता: KHIDKI MOHALLA OLD CITY DHOLPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन PT. UMA DUTT PUBLIC SCHOLL, 01, UMA NAGAR, G.T ROAD, DHOLPUR, DHOLPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से निर्धारित अवधि हेतु ही मान्य होगा। निर्धारित अवधि बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलीटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यूनिट भवन के तौर पर वाटर टैंक क्षमता 15000 लीटर पानी का स्टोक हमेशा रखना होगा।
6. भूमि टैंक क्षमता 25000 लीटर के साथ वैट्टर्राईजर (प्रेशर के लिए) टेरिप पम्प क्षमता 900 एनपीएम का स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
7. यूनिट भवन में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं फायर ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम हमेशा चालू हालात रखने होंगे।
8. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जाएगा।
10. पानी टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
11. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षण कर्मचारी रखने तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
12. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
13. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
14. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
15. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
16. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटोप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
18. वेसमेन्ट को छोड़ते हुये उक्त एनओसी जारी की जाती है।

Signed by: Karmveer Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: DHAULPUR, Rajasthan
Date: 19/03/2026 10:13:55

